

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बडवानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 867 / 2014

संस्थान दिनांक 20.12.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बडवानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. आशाराम पिता रमेश मुजाल्दे आयु- 25 वर्ष,
निवासी- घोलाच्या थाना ठीकरी, जिला-बडवानी (म.प्र.)
2. बद्रीलाल पिता सुरमल आयु- 30 वर्ष,
निवासी-थीगली थाना नागलवाडी, जिला-बडवानी (म.प्र.)
3. जीकाराम पिता राधेश्याम आयु- 23 वर्ष,
निवासी-सालीकला थाना नागलवाडी, जिला-बडवानी (म.प्र.)
4. गजा पिता मोटला आयु- 20 वर्ष,
निवासी-थीगली थाना नागलवाडी, जिला-बडवानी (म.प्र.)

-----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
आरोपीगण द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

///निर्णय ///

(आज दिनांक 27.12.2017 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 279/2014 अंतर्गत धारा 11 (घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196,3/181,39/192 एवं 66/192(1) में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 04.12.2014 को समय शाम 03:30 बजे, सेंगवाल फाटा ए.बी. रोड़, पर वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 में नग 06 केडों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर, वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया

जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, उक्त वाहन में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 06 केडों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें उक्त वाहन में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने, के संबंध में धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं आरोपी आशाराम पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196,3/181,39/192 एवं 66/192 (1) के अंतर्गत अपराध भी विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि, आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.12.2014 को ए.एस.आई.संजीव पाटील को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 में 06 केडों को बेहरमी से कुरतापूर्वक भरकर मुँह व पैर रस्सियों ने बांधकर धामनोद से महाराष्ट्र तरफ वध हेतु कुछ लोग लेकर जाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर उसने राहगीर पंच साक्षी जगदीश एवं पवन को सूचना से अवगत कराया। हमराह लिया थोड़ी ही देर बाद सेंगवाल फाटे पर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार सफेद बोलेरो वाहन पीकअप क्रमांक एम. पी.46 जी. 1066 मोके पर आयी, जिसकी नाकाबंदी कर रोककर चेक किया तो वाहन के अंदर 06 केडे, ठुस-ठुस कर, मुँह व पैर रस्सियों से बंधे हुये थे, वाहन के अंदर चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी। वाहन में बैठे व्यक्तियों से नाम, पता पुछते चालक ने अपना नाम आशाराम पिता रमेश निवासी ग्राम घोला न्या एवं साथ में बैठे लोगो ने अपना नाम बद्रीलाल पिता सुरमल निवासी थीगली, जिकाराम पिता राधेश्याम निवासी सालीकला एवं गजा पिता मोटला निवासी थीगली का होना बताया था। आरोपीगण से केडों से मेडिकल आदि का पूछते नहीं होना बताया एवं चारों ने उक्त केडों को वध हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जाना बताया था, तथा साक्षियों के समक्ष आरोपीगण से वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 मय 06 केडों को एवं रस्सी जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 279/2014 अंतर्गत धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 2004 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196,3/181,39/192 एवं 66/192(1) में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की पुलिस ने अपराध के अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

04. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं आरोपी आशाराम पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196,3/181,39/192 एवं 66/192(1) के अंतर्गत भी आरोप पत्र निर्मित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार किया है। धारा 313 द0प्र0सं0 के परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये हैं।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 04.12.2014 को समय शाम 03:30 बजे, स्थान ग्राम सेंगवाल फाटा ए.बी.रोड़ पर वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 पीकअप में नग 06 केडे को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह पैर बांधकर ले जा रहे थे?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के 06 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 06 केडे को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया?
4. क्या आरोपी आशाराम ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अबीमित होते हुए चलाया?
5. क्या आरोपी आशाराम ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति के चलाया?
6. क्या आरोपी आशाराम ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना पंजीयन के चलाया?
7. क्या आरोपी आशाराम ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर नग 06 केडों को भरकर ओवर लोट कर वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 को चलाया? यदि हां, तो उचित दंडाज्ञा?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में जगदीश (अ.सा.1), पवन राठौड (अ.सा.2), डॉ० सुनीता बाघेला (अ.सा.3), ए.एस.आई संजीव पाटील (अ.सा.4), के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि आरोपीगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 7 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। ए.एस.आई. संजीव पाटील (अ.सा.4) का कथन है कि, दिनांक 04.12.2014 को वह थाना ठीकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को देहात भ्रमण के दौरान लगभग 2:00 बजे वह सेंगवाल फाटे के पास पहुंचा तो उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि, वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 में केडों को बेरहमी से कुरतापूर्वक भरकर मुंह व पैर रस्सियों ने बांधकर धामनोद से महाराष्ट्र तरफ वध हेतु कुछ लोग लेकर जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर उसने राहगीर पंच साक्षी जगदीश एवं पवन को सूचना से अवगत कराया तथा हमराह लिया थोड़ी ही देर बाद सेंगवाल फाटे पर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार सफेद बोलेरो वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 मोके पर आयी, जिसकी नाकाबंदी कर रोककर चेक किया तो वाहन के अंदर 06 केडे, टुस-टुस कर, मुंह व पैर रस्सियों से बंधे हुये थे, वाहन के अंदर चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी। वाहन में 4 व्यक्ति बैठे थे जिन व्यक्तियों से नाम, पता पुछते चालक ने अपना नाम आशाराम पिता रमेश निवासी ग्राम घोलाच्या एवं साथ में बैठे लोगो ने अपना नाम बद्रीलाल पिता सुरमल निवासी थीगली, जिकाराम पिता राधेश्याम निवासी सालीकला एवं गजा पिता मोटला निवासी थीगली का होना बताया था। आरोपीगण से केडों के परिवहन आदि दस्तावेजों का पूछते नहीं होना बताया एवं चारों ने उक्त केडों को वध हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जाना बताया था, तथा साक्षियों के समक्ष आरोपीगण से वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 मय 06 केडों को एवं रस्सी जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 279/2014 प्र.पी. 7 दर्ज किया जिसके ए से ए व बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर है।

8. साक्षी का यह भी कथन है कि, उसने जप्त केडों का मेडिकल परीक्षण पशु चिकित्सालय ठीकरी से कराया था तथा जप्त केडों और वाहन बोलेरो लोडिंग क्रमांक एम.पी.46 जी. 1066 को राजसात करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बडवानी के माध्यम से जिला कलेक्टर बडवानी को पत्र भेजा था तथा पुलिस अधीक्षक बडवानी द्वारा उक्त वस्तुओं को राजसात करने के संबंध में भेजे गये पत्र प्र.पी. 9 की प्रतिलिपि थाना ठीकरी पर प्राप्त हुयी थी। उसने आर०टी०ओ० कार्यालय बडवानी से उक्त बोलेरो

वाहन के स्वामी की जानकारी हेतु आर०टी०ओ० कार्यालय बडवानी को प्र०पी० 10 का पत्र लिखा था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर०टी०ओ० कार्यालय बडवानी से प्र०पी० 11 के पत्र अनुसार उक्त बोलेरो वाहन का पंजीकृत स्वामी आरोपी आशाराम पिता रमेश को बताया गया है। साक्षी ने रोजनामचा प्र०पी० 12 में वापसी होने के बारे में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, किसी भी अपराध की विवेचना या भ्रमण पर जाने की रवानगी रोजनामचा में दर्ज की जाती है और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 7 में रोजनामचों का नंबर अंकित नहीं किया है। साक्षी ने प्र०पी० 7 की रिपोर्ट में वाहन के नंबर में काट छाट करना, प्र०पी० 1 के जप्ती पंचनामा और प्र०पी० 12 के रोजनामचों की प्रतिलिपि में भी वाहन के नंबर काट छाट करना स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, कृषक लोग बैलों के माध्यम से खेती करते हैं और अच्छी किस्म के बैलों को खरीदने और बेचने के लिये पशु बाजारों का आयोजन विभिन्न गांवों में किया जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, ग्राम सुद्रेल में गुरुवार के दिन पशु बाजार का आयोजन किया जाता है और घटना का दिन गुरुवार था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, नागलवाडी से महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और नागलवाडी के बाद सेंधवा ग्रामीण, सेंधवा शहरी और वरला थाना म०प्र० में आते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, महाराष्ट्र राज्य के कौन से शहर में वध शाला है इसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचना में नहीं किया गया है। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, जप्त बैलो को कृषि कार्य के लिये ले जा रहे थे अथवा उसने दुर्भावना पूर्वक आरोपीगण के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है या वह असत्य कथन कर रहे हैं।

9. जगदीश (अ.सा.1) तथा पवन राठौड (अ.सा.2) का कथन है कि, आरोपीगण से उक्त केडे जप्त करने के साक्षीगण हैं लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने आरोपीगण को पहचाने या उनके सामने पुलिस द्वारा उनसे कोई भी जप्ती करने से इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खंडन किया है। साक्षियों ने केवल प्र०पी० 1 से 5 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घटोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है कि सेंगवाल फाटे पर वर्ष 2014 में थाना ठीकरी के सहायक उप निरीक्षक श्री संजीव पाटिल ने उन्हें मुखबिर के सूचना बतायी थी तथा श्री पाटिल ने उनके सामने बोलेरो वाहन क्रं एम०पी० 46 जी० 1066 से 06 नग केडे और 6 रस्सियां प्र०पी० 1 के अनुसार आरोपीगण से जप्त की थी। जगदीश (अ.सा.1) का यह भी कथन है कि, वह अपने खेत की मोटर चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाना ठीकरी पर गया था तब पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी जगदीश (अ.सा.1) ने स्वीकार किया है कि, वह खेती का काम बैलो से करता है, तथा कृषि कार्य हेतु बैल बाजार से लाना होते हैं।

10. डॉ० सुनीता बाघेला (अ.सा.3) का कथन है कि, दि० 04.12.2014 को पशु चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी से पत्र क्र० 279/2014 दिनांक 04.12.2014 द्वारा जप्तशुदा 03 बैल तथा 03 साण्ड का मेडिकल परीक्षण करने हेतु प्राप्त होने पर उसने 03 बैल व 03 साण्डों का परीक्षण किया था। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी० 6 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, केडों को आयी चोटे दीवार से रगड़ाने जो सख्त जगह से रगड़ाने से आ सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, वह गौ शाला में परीक्षण के लिये गयी थी वहां उसे पुलिस ने जिन पशुओं को दिखाया था उनका ही मेडिकल परीक्षण किया था।

11. ऐसी स्थिति में जबकि आरोपीगण से उक्त केडे और वाहन जप्त करने के संबंध में जप्ती पंचनामों के दोनों ही साक्षी पक्ष विरोधी रहे हैं और उन्होंने आरोपीगण को पहचाने तथा उनके सामने कोई भी जप्ती करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। यहां तक की साक्षीगण की जप्ती स्थल पर उपस्थिति होना भी प्रमाणित नहीं हुयी है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है क्योंकि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य कितनी भी कितनी ही विश्वसनीय क्यों न हो सम्पुष्टि के आधार पर उस पर दोषमुक्ति आधारित नहीं की जा सकती है तथा अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव आरोपीगण आशाराम पिता रमेश मुजाल्दे, बट्टीलाल पिता सुरमल, जीकाराम पिता राधेश्याम एवं गजा पिता मोटला को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं आशाराम पिता रमेश मुजाल्दे, को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196, 3/181, 39/192 एवं 66/192(1) के अपराधों से भी दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्त हुये 06 केडे एवं बोलेरो वाहन क्र० एम०पी० 46 जी० 1066 को राजसात करने की कार्यवाही कलेक्टर बडवानी द्वारा की जा रही है अतः उक्त संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

14. निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर बडवानी को सूचनार्थ भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी